# यूरोपियन यूनियन
# EUROPEAN UNION - EU

**DR. SHILPI JAISWAL**
**ASSISTANT PROFESSOR**
**POLITICAL SCIENCE**
**U. P. COLLEGE, VARANASI**

# परिचय

- यूरोपीय संघ (EU) एक राजनैतिक और आर्थिक संघ है, जिसमें मुख्यतः यूरोप के देशों की भागीदारी है। इसकी स्थापना का उद्देश्य यूरोप में एकता, सहयोग और शांति को बढ़ावा देना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यूरोप के देशों ने यह महसूस किया कि स्थिरता और विकास के लिए सहयोग और एकीकरण आवश्यक है। इस विचारधारा के तहत कई देशों ने आपस में एकजुट होकर काम करना शुरू किया, जो आगे चलकर यूरोपीय संघ में बदल गया।
- यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है जो एक संसक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है।
- इसके 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर 'यूरो' का उपयोग करते हैं, जबकि 8 सदस्य देश (बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन) यूरो का उपयोग नहीं करते हैं।
- यूरोपीय देशों के मध्य सदियों से चली आ रही लड़ाई को समाप्त करने के लिये यूरोपीय संघ के रूप में एक एकल यूरोपीय राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा विकसित हुई जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के साथ समापन हुआ और इस महाद्वीप का अधिकांश भाग समाप्त हो गया।
- EU ने कानूनों की मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाज़ार (Internal Single Market) विकसित किया है जो सभी सदस्य राज्यों के मामलों में लागू होता है और सभी सदस्य देशों की इस पर एक राय होती है।

# लक्ष्य

- EU के सभी नागरिकों के लिये शांति, मूल्य एवं कल्याण को प्रोत्साहित करना।
- आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना।
- यह सतत् विकास, संतुलित आर्थिक वृद्धि एवं मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोज़गार और सामाजिक प्रगति के साथ एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय सुरक्षा पर आधारित है।
- सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का निराकरण।
- वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना।
- EU देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता एवं समन्वय को बढ़ावा देना।
- इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और भाषायी विविधता का सम्मान करना
- एक आर्थिक और मौद्रिक यूनियन की स्थापना करना जिसकी मुद्रा यूरो है।

•यूरोपीय देशों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देना।
•शांति, स्थिरता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
•मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना ताकि सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास हो सके।
•यूरोप के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना।
•पर्यावरणीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना।
•अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूरोप की स्थिति को मजबूत करना।

# सदस्य राष्ट्र

- यूरोपीय संघ में 27 संप्रभु राष्ट्र हैं जो सदस्य राष्ट्रों के तौर पर जाने जाते हैं:-
  आस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, ईटली, लातीविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन,.कोएशिया
- यूरोपिय संघ में लगभग ५० करोड़ नागरिक हैं, एवं यह विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 31% योगदानकर्ता है जो 2007 में लगभग (यूएस$1.66 नील) था।
- यूरोपीय संघ समूह आठ संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं विश्व व्यापार संगठन में अपने सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यूरोपीय संघ के 21 देश नाटो के भी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण संस्थानों में यूरोपियन कमीशन, यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ परिषद, यूरोपीय न्यायलय एवं यूरोपियन सेंट्रल बैंक इत्यादि शामिल हैं। यूरोपीय संघ के नागरिक हर पाँच वर्ष में अपनी संसदीय व्यवस्था के सदस्यों को चुनती है।
- यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

# स्थापना और इतिहास

- यूरोपीय संघ की स्थापना का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया, जब यूरोपीय देशों ने महसूस किया कि युद्ध से विनाश और विभाजन ही हुआ है। 1951 में, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय (ECSC) की स्थापना की गई, जिसमें छह देशों (फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, और लक्जमबर्ग) ने हिस्सा लिया। इस समुदाय का उद्देश्य कोयला और इस्पात के संसाधनों पर साझा नियंत्रण था ताकि युद्ध की संभावना को कम किया जा सके। 1957 में, इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए रोम संधि पर हस्ताक्षर किए गए और यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय (EURATOM) का गठन हुआ।
- 1993 में मास्ट्रिच्ट संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन हुआ और इसे औपचारिक रूप से एक संगठन का दर्जा मिला। इसके बाद, 2007 में लिस्बन संधि लागू हुई, जिसमें यूरोपीय संघ की संरचना और कार्यप्रणाली को मजबूत किया गया।

- यूरोपीय एकीकरण को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अत्यधिक राष्ट्रवाद को नियंत्रित करने के रूप में देखा गया था जिसने महाद्वीप को लगभग तबाह कर दिया था।
- वर्ष 1946 में ज़ुरिच विश्वविद्यालय, स्विट्ज़रलैंड में विंस्टन चर्चिल ने आगे बढ़कर यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप के उद्भव की वकालत की।
- वर्ष 1952 में 6 देशों (बेल्जियम, फ्राँस , जर्मनी, इटली, लक्ज़मबर्ग और नीदरलैंड) द्वारा अपने कोयला और इस्पात उत्पादन को एक आम बाज़ार में रखकर, उनकी संप्रभुता के हिस्से को खत्म करने हेतु पेरिस संधि के तहत यूरोपीय कोल एवं स्टील कम्युनिटी (European Coal and Steel Community - ECSC) की स्थापना की गई थी।
    - वर्ष 1952 में पेरिस संधि के तहत यूरोपीय न्यायालय ( वर्ष 2009 तक इसे यूरोपीय समुदायों के न्याय के लिये न्यायालय कहा जाता था ) की  स्थापना भी की गई थी

# संस्थागत संरचना

- यूरोपीय संघ की संस्थागत संरचना इसे एक अद्वितीय संगठन बनाती है। इसकी मुख्य संस्थाएं हैं:

1. **यूरोपीय परिषद (European Council)**: यह संघ की प्रमुख नीतिगत दिशा को निर्धारित करती है। इसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं और इसका नेतृत्व एक चुना हुआ अध्यक्ष करता है।
2. **यूरोपीय आयोग (European Commission)**: यह संघ की कार्यकारी शाखा है, जो नीतियों को लागू करने और बजट का प्रबंधन करने का काम करती है। यह यूरोपीय संघ का "कार्यकारी अंग" है।
3. **यूरोपीय संसद (European Parliament)**: यह संस्था सीधे यूरोपीय नागरिकों द्वारा चुनी जाती है और संघ की विधायिका का हिस्सा है। इसका काम कानून बनाना और संघ के बजट की निगरानी करना है।
4. **यूरोपीय न्यायालय (Court of Justice of the European Union)**: इसका मुख्य कार्य संघ के कानून की व्याख्या और निगरानी करना है। यह यह सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्य देश समान रूप से संघ के कानूनों का पालन कर रहे हैं।
5. **यूरोपीय सेंट्रल बैंक (European Central Bank - ECB)**: यह संघ की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और यूरो का मूल्य स्थिर रखने का कार्य करता है।
6. **यूरोपीय लेखा परीक्षक कोर्ट (European Court of Auditors)**: यह संघ के बजट की समीक्षा और लेखा परीक्षा करता है।

- यूरो (Euro) मुद्रा
- यूरोपीय संघ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका साझा मुद्रा, यूरो है। 1999 में यूरो का प्रचलन शुरू हुआ और वर्तमान में 20 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में यह आधिकारिक मुद्रा है। यूरो का उद्देश्य यूरोप के भीतर व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। इसका प्रयोग करने वाले देशों को यूरोज़ोन के सदस्य के रूप में जाना जाता है।
- सदस्यता और विस्तार
- यूरोपीय संघ में शुरूआत में केवल छह सदस्य देश थे, लेकिन समय के साथ यह संख्या बढ़ती गई। वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश हैं। प्रत्येक देश जो सदस्यता लेना चाहता है, उसे कुछ विशेष शर्तों को पूरा करना पड़ता है, जिसे कोपेनहेगन मापदंड कहा जाता है। इन शर्तों में लोकतंत्र, कानून का शासन, मानव अधिकार और एक स्थिर अर्थव्यवस्था का होना शामिल है।

# ब्रेक्जिट (Brexit)

- ब्रेक्जिट यूरोपीय संघ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 2016 में, यूनाइटेड किंगडम (UK) ने एक जनमत संग्रह के माध्यम से यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का निर्णय लिया और राष्ट्रों ने EU को त्यागने के पक्ष में मतदान किया।। यह निर्णय EU के लिए एक चुनौती बन गया और इस पर बहुत बहस हुई। 31 जनवरी 2020 को, यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से बाहर हो गया, वर्तमान में EU से औपचारिक रूप से बाहर निकलने के लिये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत एक प्रक्रिया है। जिसे ब्रेक्जिट (Brexit) के नाम से जाना गया।अब यूरोपीय संघ से औपचारिक रूप से बाहर आने  की प्रक्रिया ब्रिटेन की संसद के अधीन है।

# शासन

- यूरोपीय परिषद
    - यह एक सामूहिक निकाय है जो यूरोपीय संघ की सभी राजनीतिक दिशाओं एवं प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है।इसमें यूरोपीय परिषद एवं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ राज्यों के प्रमुख या EU सदस्य राज्यों की सरकारें शामिल हैं। सुरक्षा नीतियों एवं विदेशी मामलों के लिये संघ के उच्च प्रतिनिधि भी सम्मेलनों में भाग लेते हैं। वर्ष 1975 में इसे एक अनौपचारिक सम्मेलन के रूप में स्थापित किया गया था। लिस्बन संधि की शक्तियों को प्राप्त करने के बाद वर्ष 2009 में यूरोपीय परिषद को एक औपचारिक संस्था के तौर पर स्थापित किया गया थाइस सम्मेलन के निर्णयों को सर्वसम्मति से अपनाया गया था।
- यूरोपीय संसद : यह यूरोपीय संघ (EU) का एकमात्र संसदीय संस्थान है। यह यूरोपीय संघ की परिषद (इसे 'परिषद' के रूप में भी जाना जाता है) के सहयोग से यूरोपीय संघ के विधायी कार्यों (legislative function) को देखता है।
    - यूरोपीय संसद के पास उतनी अधिक विधायी शक्तियाँ नहीं हैं जितनी कि इसके सदस्य देशों की संसद के पास हैं।

- यूरोपीय संघ की परिषद: यह अनिवार्य रूप से द्विसदनीय यूरोपीय संघ के विधानमंडल (Bicameral EU legislature) का एक भाग है (यूरोपीय संसद के रूप में अन्य विधायी निकाय) और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों की कार्यकारी सरकारों (मंत्री) का प्रतिनिधित्व करती है।
    - परिषद में यूरोपीय संघ के प्रत्येक देश की सरकार के मंत्री चर्चा करने, संशोधन करने, कानूनों को अपनाने और नीतियों के समन्वय के लिये मिलते हैं। बैठक में सहमत कार्यों को करने के लिये मंत्रियों के पास अपनी सरकारों को प्रतिबद्ध करने काअधिकार है।
- यूरोपीय आयोग (EC): यह यूरोपीय संघ का एक कार्यकारी निकाय है। यह विधायी प्रक्रियाओं के प्रति उत्तरदायी है। यह विधानों को प्रस्तावित करने, निर्णयों को लागू करने, यूरोपीय संघ की संधियों को बरकरार रखने और यूरोपीय संघ के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार है।
    - आयोग 27 सदस्य देशों के साथ एक कैबिनेट सरकार के रूप में कार्य करता है। प्रति सदस्य देश से एक सदस्य आयोग में शामिल होता है। इन सदस्यों का प्रस्ताव सदस्य देशों द्वारा ही दिया जाता है जिसे यूरोपीय संसद द्वारा अंतिम स्वीकृति दी जाती है।
    - 27 सदस्य देशों में से एक को यूरोपीय परिषद द्वारा अध्यक्ष पद हेतु प्रस्तावित और यूरोपीय संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
    - संघ के विदेशी मामलों और सुरक्षा नीति के लिये उच्च प्रतिनिधि की नियुक्ति यूरोपीय परिषद द्वारा मतदान द्वारा की जाती है और इस निर्णय के लिये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होती है। उच्च प्रतिनिधि यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों, सुरक्षा एवं रक्षा नीतियों के क्रियान्वयन के लिये ज़िम्मेदार होता है।

# यूरोपीय न्यायालय का लेखा-परीक्षक (ECA):

- यह सदस्य देशों को यूरोपीय संघ की संस्थाओं और यूरोपीय संघ द्वारा किये गए वित्तपोषण के उचित प्रबंधन की जाँच करता है। यह किसी भी कथित अनियमितताओं पर मध्यस्थता करने के लिये
- अनसुलझी समस्याओं को यूरोपीय न्यायालय को संदर्भित कर सकता है।
- ECA के सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिये परिषद द्वारा संसद से परामर्श के बाद की जाती है।

# यूरोपीय संघ का न्यायालय (CJEU):

- यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह सभी यूरोपीय संघ के देशों में समान रूप से लागू होता है, यूरोपीय संघ के कानून की व्याख्या करता है और राष्ट्रीय सरकारों तथा यूरोपीय संघ के संस्थानों के मध्य कानूनी विवादों का समाधान करता है।
    - EU संस्थान के प्रति कार्रवाई करने के लिये यह व्यक्तियों, कंपनियों या संगठनों के माध्यम से भी संपर्क कर सकता है यदि वे महसूस करते हैं कि EU प्रणाली के अंतर्गत उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
    - प्रत्येक न्यायाधीश और महाधिवक्ता को राष्ट्रीय सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किया जाता है।
    - यह लक्ज़मबर्ग में अवस्थित है।

# यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB):

- यह यूरो के लिये केंद्रीय बैंक है और यूरो क्षेत्र के भीतर मौद्रिक नीति का संचालन करता है जिसमें यूरोपीय संघ के 19 सदस्य राज्य शामिल हैं।
    - शासन परिषद: यह ECB का एक निर्णय लेने वाला निकाय है। यह यूरो क्षेत्र के देशों के राष्ट्रीय बैंकों के गवर्नर और कार्यकारी बोर्ड से मिलकर बना है।
    - कार्यकारी बोर्ड: यह ECB के प्रतिदिन के कार्यों को नियंत्रित करता है। इसमें ECB अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल हैं जिनकी नियुक्ति यूरो क्षेत्र के देशों के राष्ट्रीय गवर्नर द्वारा की जाती है।
    - यहउन ब्याज दरों को निर्धारित करता है जिस पर यह यूरो क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है, इस प्रकार यह मुद्रास्फीति एवं मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
    - यह यूरो क्षेत्र के देशों द्वारा जारी यूरो  बैंक नोट को अधिकृत करता है।
    - यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
    - यह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट मे अवस्थित है।

# कार्य

- यूरोपीय संघ का कानून और विनियमन अपने सदस्य देशों की एक संसक्त आर्थिक इकाई बनाने के लिये है ताकि माल को सदस्य राष्ट्रों की सीमाओं तक बिना शुल्क के एक ही मुद्रा में और एक बढ़े हुए श्रम समुच्चय के निर्माण से स्वतंत्र रूप से  पहुँचाया जा सके, जो अधिक कुशल वितरण और श्रम का उपयोग सुनिश्चित करता है।
- यह  वित्तीय संसाधनों का एक संयोजन है ताकि सदस्य राष्ट्र निवेश करने के लिये 'बेल आउट' या पैसा उधार ले सकें।
- सदस्य देशों के लिये संघ की अपेक्षाएँ मानव अधिकार एवं पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में राजनीतिक निहितार्थ हैं। संघ अपने सदस्य देशों को सहायता देने की शर्तों के रूप में मितव्ययी बजट (Austerity Budget) और विभिन्न कटौतियों जैसे भारी राजनीतिक लागतों को आरोपित कर सकता है।

• व्यापार

a. इसके सदस्यों के मध्य मुक्त व्यापार यूरोपीय संघ के संस्थापक सिद्धांतों में से एक था जिसका श्रेय एकल बाज़ार को जाता है। इसकी सीमाओं से परे यूरोपीय संघ विश्व व्यापार के उदारीकरण के लिये भी प्रतिबद्ध है।

b. यूरोपीय संघ विश्व में सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। यह विश्व में निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का सबसे बड़ा आयातक है और 100 से अधिक देशों के लिये निर्यात हेतु सबसे बड़ा बाज़ार है।

• मानवीयसहयोग

a. यूरोपीय संघ विश्व भर में कृत्रिम और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के सहयोग के लिये प्रतिबद्ध है एवं प्रतिवर्ष 120 मिलियन से अधिक लोगों को सहयोग प्रदान करता है।

b. EU और उसके घटक देश मानवीय सहायता प्रदान करने वाले दुनिया के प्रमुख दाता देश हैं।

कूटनीतिऔरसुरक्षा

a. EU कूटनीति के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्थिरता, सुरक्षा तथा समृद्धि, लोकतंत्र आधारभूत स्वतंत्रता एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विधि के नियमों को बढ़ावा देने के लिये कार्य करता है।

# यूरोपीय संघ की हिंद-प्रशांत रणनीति:

- यूरोपीय संघ (ईयू) ने इंडो-पैसिफिक में घनिष्ठ संबंध और मज़बूत उपस्थिति को आगे बढ़ाने के लिये अक्बतूर 2021 में इंडो-पैसिफिक में सहयोग हेतु अपनी रणनीति जारी की। रणनीति की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
    - संवहनीय आपूर्ति श्रृंखला: हिंद-प्रशांत भागीदारों के साथ इस संलग्नता का प्राथमिक उद्देश्य अधिक प्रत्यास्थी और संवहनीय वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण करना है।
    - समान विचारधारा वाले देशों के साथ साझेदारी: ऐसा प्रतीत होता है कि यूरोपीय संघ की रणनीति वर्तमान में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पहले से स्थापित साझेदारियों को और सुदृढ़ करने तथा समान विचारधारा वाले देशों के साथ नई साझेदारियाँ विकसित करने पर अधिक केंद्रित है, ताकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी भूमिका और बढ़ती उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।
    - 'क्वाड' (Quad) सदस्यों के साथ सहयोग की इच्छा: यूरोपीय संघ 'क्वाड' सदस्य देशों के साथ जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी और वैक्सीन जैसे विषयों में सहयोग की इच्छा रखता है।
        - पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी प्रवृत्तियों और हिंद महासागर में इसके बढ़ते पदचिह्नों को देखते हुए, यूरोपीय संघ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड देशों के साथ काम करने को तैयार है।
- साथ ही, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिये यूरोपीय संघ ने "ग्लोबल गेटवे" योजना शुरू की।

# ब्रेक्जिट:

- यूरोपीय संघ ने व्यापार पर कई नियमों को आरोपित किया है और बदले में प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क के तौर पर बिलियन पाउंड शुल्क ।

  - वर्ष 2004 में यूरोपीय संघ ने आठ पूर्वी यूरोपीय देशों को जोड़ा, जिससे आव्रजन की लहर शुरू हो गई और इसने सार्वजानिक सेवाओं को तनाव की स्थिति में ला दिया। इंग्लैंड और वेल्स में विदेशी मूल के निवासियों की हिस्सेदारी 2011 तक 13.4 प्रतिशत थी, जो 1991 से लगभग दोगुनी थी।

  - ब्रेक्जिट समर्थक चाहते थे कि ब्रिटेन अपनी सीमाओं का पूर्ण नियंत्रण वापस ले और यहाँ रहने या काम करने के लिये आने वाले लोगों की संख्या को कम करे।

  - उन्होंने तर्क दिया कि EU एक सुपर स्टेट में रूपांतरित हो रहा है जिसने राष्ट्रीय संप्रभुता को प्रभावित किया है। उनका मानना है कि ब्रिटेन बिना किसी गुट  के वैश्विक ताकत है और वह स्वयं बेहतर व्यापार संधियों पर बातचीत कर सकता है।

  - यूरोपीय संघ से बाहर होने की प्रक्रिया को EU की संधि के अनुच्छेद 50 द्वारा शासित किया जाता है।

  - ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के मध्य एक समझौता जो इसे आप्रवासन पर नियंत्रण की शक्ति देता है और 500 मिलियन लोगों को यूरोपीय संघ के टैरिफ-मुक्त एकल बाज़ार तक तरजीही पहुँच प्रदान करता है। विश्व के सबसे बड़े व्यापार ब्लॉक की आर्थिक मज़बूती को जर्मनी एवं अन्य EU नेताओं द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

# EU और भारत

- EU देश भर में शांति स्थापना, रोज़गार सृजन, आर्थिक विकास को बढ़ाने एवं सतत् विकास को प्रोत्साहित करने के लिये भारत के साथ निकटता से कार्य करता है।
- जैसा कि भारत ने निम्न से मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में प्रवेश किया (OECD वर्ष 2014), भारत-EU सहयोग भी साझा प्राथमिकताओं पर केंद्रित होकर पारंपरिक वित्तीय सहायता से साझेदारी की ओर अग्रसर हुआ है।
- वर्ष 2017 में EU-भारत शिखर सम्मेलन में नेताओं ने सतत् विकास के लिये एजेंडा 2030 के क्रियान्वयन पर सहयोग को मज़बूती प्रदान करने के लिये अपने इरादे को दोहराया और भारत-EU विकास संवाद के विस्तार के अन्वेषण हेतु सहमत हुए।
- यूरोपीय संघ वस्तु व्यापार में 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, चीन और अमेरिका से आगे कुल व्यापार 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब था।
- EU भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, वर्ष 2017 में दोनों के बीच वस्तुओं का कुल व्यापार € 85 बिलियन (95 बिलियन USD) या कुल भारतीय व्यापार का 13.1% है जो चीन (11.4%) और USA (9.5%) से अधिक है।

# भारत - EU द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता (BTIA):

- यह भारत और EU के मध्य मुक्त व्यापार समझौता है जिसकी शुरुआत वर्ष 2007 में की गई थी।
    - हाल ही में, भारत और यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौतों के लिये पहले दौर की वार्ता संपन्न की।
        - दूसरे दौर की वार्ता सितंबर 2022 में ब्रुसेल्स में होने वाली है।
        - BTIA पर हस्ताक्षर के साथ, भारत और यूरोपीय संघ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार और निवेश में बाधाओं को दूर करके द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की उम्मीद करते हैं।

# यूरोपीय संघ की उपलब्धियाँ

1. **शांति और स्थिरता**: यूरोपीय संघ ने कई दशकों से यूरोप में शांति और स्थिरता बनाए रखी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यह पहली बार था कि इतने सारे देश आपस में संघर्ष की बजाय सहयोग की भावना से जुड़े।
2. **आर्थिक विकास**: यूरोपीय संघ के माध्यम से यूरोप में व्यापार और निवेश में भारी वृद्धि हुई है। मुक्त व्यापार नीति के कारण सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ा है।
3. **पर्यावरण सुरक्षा**: यूरोपीय संघ पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके सदस्य देशों के लिए पर्यावरणीय मानकों का पालन करना आवश्यक है।
4. **मानवाधिकारों का संरक्षण**: संघ ने अपने नागरिकों के मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, और न्याय सुनिश्चित करना शामिल है।
5. **सामाजिक कल्याण**: यूरोपीय संघ का उद्देश्य अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ाना है। इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाना, शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार आदि शामिल हैं।

# चुनौतियाँ

1. **आर्थिक असमानता**: यूरोपीय संघ के सभी देशों की आर्थिक स्थिति समान नहीं है, जिससे समृद्ध और कमजोर देशों के बीच मतभेद होते हैं। कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को आर्थिक सहायता देने से समृद्ध देशों पर दबाव पड़ता है।
2. **ब्रेक्जिट**: यूनाइटेड किंगडम का संघ से बाहर निकलना संघ के लिए एक बड़ा झटका था। इससे अन्य देशों को भी बाहर निकलने का विचार प्रेरित हो सकता है।
3. **आप्रवास संकट**: यूरोपीय संघ ने शरणार्थियों और आप्रवासियों के संकट का सामना किया है। इसके चलते कई देशों में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ी है।
4. **राजनीतिक मतभेद**: सदस्य देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद होते हैं, जैसे कि विदेश नीति, पर्यावरण नीति, रक्षा नीति आदि।
5. **राष्ट्रवाद का उदय**: यूरोपीय संघ के भीतर कुछ देशों में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, जिससे संघ की एकता को खतरा है।

# निष्कर्ष

- यूरोपीय संघ एक अनोखा संगठन है जो कई अलग-अलग देशों को एक साझा मंच पर लाता है। हालांकि इसके समक्ष कई चुनौतियाँ हैं, फिर भी इसकी उपलब्धियाँ और इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूरोपीय संघ ने न केवल अपने सदस्य देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि कैसे विभिन्न देशों के बीच सहयोग और एकता से विकास और स्थिरता लाई जा सकती है।
- EU के विकास का आधार विभाजित यूरोप के एकीकरण में है जिसका कारण लंबे समय से मौजूद राष्ट्रवाद तथा दो विश्व युद्ध भी हैं। समूह ने कमज़ोर सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

# THANKS

# Dr. SHILPI JAISWAL